न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार – ।

राजस्व आवेदन संख्या :– 01/2026

क्रमांक/आवेदन/2025/212 — दिनांक– 13/01/2026

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. राणाराम पुत्र सखी 2. कूम्पाराम पुत्र सखी 3. तगाराम पुत्र सखी, जाति–भील, नि0 बंधड़ा, तह0 गडरारोड़		श्रीमान तहसीलदार भू.अ. गडरारोड़ जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक गिराब को प्रार्थीगण की मौजा बन्धड़ा, पटवार मण्डल– बन्धड़ा में अवस्थित खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 761/533 रकबा 51.1522 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस मे भिजवाने हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू– अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)
दिनांक–13/01/26

क्रमांक/आवेदन/2025/213-18

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक गिराब को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी बन्धड़ा को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गिराब द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गिराब को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण राणाराम पुत्र सखी वगैरा (03) को सूचनार्थ ।
6. विप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) गडरारोड़, [illegible] को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)